विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1244/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।
दिनांक : 02 अगस्त, 2023

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय के परिपत्र संख्या : 1171/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि असरकारी सदस्यों के संकल्पों के लिये दिनांक 02 अगस्त, 2023 को की गयी शलाका में सफल एवं माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा ग्राह्य किये गये निम्नलिखित असरकारी संकल्पों को सदन में प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी मदें उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 07 अगस्त, 2023 से प्रारम्भ हो रहे सत्र में असरकारी संकल्पों हेतु सदन की कार्य-सूची में यथासमय सम्मिलित की जायेंगी :-

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	डॉ0 पल्लवी पटेल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के नवसृजित नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के सिराथू तहसील के असकरनपुर मंगरोही एवं कोरों क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की आवासीय योजना सुनिश्चित करायी जाये।"
2	डा0 सुरभी	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद फर्रुखाबाद के वि0 क्षे0 कायमगंज के अन्तर्गत नगर पंचायत शमसाबाद का नाम परिवर्तित कर खोरनगर कर दिया जाये।"
3	डा0 रागिनी	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद जौनपुर में पिछड़ापन दूर करने एवं बेरोजगारी के निराकरण हेतु जनपद में विभिन्न औद्योगिक इकाईयों की स्थापना करायी जाए।"
4	श्री चौधरी बाबूलाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद आगरा के वि0स0 क्षेत्र फतेहपुर सीकरी (91) में राजस्थान सीमा से लगे करीब 60-70 गांवों के किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु फतेहपुर सीकरी राजवाह से निकलने वाली मड़ौली माइनर का विस्तार एवं चौड़ीकरण कराया जाये।"

1	2	3
5	श्री आशुतोष शुक्ल	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद चन्द्रशेखर आजाद जन्म स्मारक स्थल स्थित ग्राम बदरका विकास खण्ड सिकन्दरपुर करन तहसील सदर-उन्नाव की लगभग 1600 मीटर मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण सुनिश्चित कराया जाये।''

2-विगत सत्रों के चर्चाधीन निम्नलिखित असरकारी संकल्पों से सम्बन्धित मदों को विधान सभा में असरकारी संकल्पों हेतु उपलब्ध होने वाले प्रथम एवं क्रमिक असरकारी दिवसों को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-25 के परन्तुक के अधीन उपर्युक्त संकल्पों पर अग्रेता मिलेगी तथा तद्नुसार उन्हें उस दिन की कार्य-सूची में सम्मिलित किया जा सकेगा :-

क्रम-सं0	सदस्य का नाम	संकल्प
1	2	3
1	डॉ0 पल्लवी पटेल	''इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद कौशाम्बी के सिराथू विधान सभा क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र की श्रेणी में सम्मिलित कर क्षेत्र कर सर्वांगीण विकास कराया जाए।''
2	श्री जवाहर लाल राजपूत	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में मोटे अनाजों को बढ़ावा देने हेतु उनके बीज एवं मोटे अनाज की उपज की बिक्री हेतु बाजार एवं मण्डी सुगमता से उपलब्ध करायी जाये।''
3	श्री अजय सिंह	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद गोण्डा के नगर करनैलगंज में लखनऊ गोण्डा मुख्य हाइ-वे पर दो रेलवे क्राँसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए।''
4	डा0 आर0 के0 वर्मा	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में जल भराव की समस्या के समाधान हेतु उमरन ड्रेन, कमसिन ड्रेन का पुनरुद्धार किया जाये।''
5	श्री चौधरी बाबूलाल	"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि मेरी विधान सभा 91 फतेहपुर सीकरी की ब्लॉक अछनेरा के ग्राम सभा पनवारी में पानी की टंकी (ओवर हेड टैंक) की स्थापना करायी जाये।''

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव।

संख्या : 1244(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

1-माननीय मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मा0 मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री के निजी सचिवों को मा0 मुख्य मंत्री, उप मुख्य मंत्रीगण एवं समस्त मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)/राज्य मंत्री की सूचनार्थ,

2-माननीय संसदीय कार्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मंत्री की सूचनार्थ,

3-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,

4-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1,

5-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी अनुभाग-1,

6-अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, औद्योगिक विकास/कृषि एवं विपणन/लोक निर्माण/जल शक्ति/ग्राम्य विकास विभाग/नगर विकास/राजस्व विभाग।

बृज भूषण दुबे,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 89 विधान सभा (142)-02-08-2023-600 प्रतियां (कम्प्यूटर)।

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1171/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022

लखनऊ : दिनांक 26 जुलाई, 2023

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

महोदय/महोदया,

मुझे आपसे यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 1167/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022, दिनांक 26 जुलाई, 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र, दिनांक 07 अगस्त, 2023 से आहूत किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (सोलहवां संस्करण) के निदेश संख्या-6 के अनुसार सत्र में उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को संकल्प तथा उसके बाद उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को असरकारी विधेयक लिये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार शुक्रवार, दिनांक 11 अगस्त, 2023 को उपलब्ध होने वाले प्रथम असरकारी दिवस को लिये जाने वाले संकल्पों हेतु शलाका माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-8 को शिथिल करते हुए बुधवार, दिनांक 02 अगस्त, 2023 को तथा दिनांक 18 अगस्त, 2023 को उपलब्ध होने वाले द्वितीय असरकारी दिवस को लिये जाने वाले असरकारी विधेयकों हेतु शलाका गुरुवार, दिनांक 03 अगस्त, 2023 को अपराह्न 4:30 बजे प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में की जायेगी। असरकारी संकल्पों व विधेयकों हेतु की जाने वाली शलाका के लिये सूचनाएं क्रमशः दिनांक 02 व 03 अगस्त, 2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक दी जा सकेंगी। शलाका के समय कोई भी माननीय सदस्य उपस्थित रह सकेंगे।

अतएव, आप यदि चाहें तो, अपने असरकारी संकल्प व विधेयक की सूचनाएं क्रमशः दिनांक 02 व 03 अगस्त, 2023 को अपराह्न 4:00 बजे तक इस सचिवालय में दे सकते हैं। उक्त शलाका के लिये किसी सदस्य से प्राप्त एक से अधिक असरकारी संकल्प व विधेयक की सूचना ग्राह्य नहीं की जायेगी।

भवदीय,

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

संख्या : 1171(1)/वि0स0/संसदीय/03(सं)/2022, तद्‌दिनांकित।

प्रतिलिपि-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य अनुभाग-1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बृजभूषण दुबे,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0-66 विधान सभा (108)-26-07-2023-500 प्रतियां (कम्प्यूटर)।